अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 108/24 (सीआईएस 108/24)
ईशान अग्निहोत्री बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस सं. 108 / 2024

ईशान अग्निहोत्री बनाम जविप्रा

दिनांक 04.06.2026

रेफरेंसकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान शर्मा उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद रावत उपस्थित।

बहस रेफरेंस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

रेफरेंसकर्ता द्वारा हस्तगत रेफरेंस के माध्यम से निम्न प्रकार अनुतोष चाहा गया है।

'' यह कि अप्रार्थी संस्था को स्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर–1830, ग्राम सिरसी, पटवार हल्का सिरसी, भू.अभि.नि. क्षेत्र जयपुर (पश्चिम), तहसील व जिला जयपुर के संबंध में प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी भी प्रकार से निर्मित बाउन्ड्रीवाल को ध्वस्त नहीं करे, न ही उन्हें बेदखल करें, न ही उनके उपयोग–उपभोग में कोई दखलन्दाजी पैदा करें, न ही ऐसा कृत्य अपने अधिनस्थ, कर्मचारी, बेलदार, सर्वेन्ट, एजेन्ट इत्यादि से करवाये।

जविप्रा द्वारा निम्न प्रकार जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है।

'' जविप्रा द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है वह पूर्णतया जांच पड़ताल करने के उपरान्त ही जविप्रा नियमो एवं विनियमो के अनुसार ही जाती है।''

सुना गया।

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस को निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

रेफरेंसकर्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस आंशिक रूप से स्वीकार कर यह अधिकरण जविप्रा को आदेशित करता है कि विधि की प्रकिया अपनाये बिना किसी प्रकार की कार्यवाही / तोडफोड / ध्वस्तीकरण नहीं किया जाये। रेफरेंस का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 108/24 (सीआईएस 108/24)

ईशान आगनहोत्री बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।	